



UPAU010034982017

न्यायालय अपर सत्र न्यायालय-प्रथम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, औरैया
विशेष सत्र वाद संख्या-22/2017

राज्य बनाम सुशील कुमार चतुर्वेदी

अपराध संख्या-334/2017

धारा-18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना-औरैया जिला औरैया

दिनांक:-30.07.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 सी.आर.पी.सी ख-25 विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण में माल परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. में C.P. केशव प्रसाद द्वारा दाखिल किया गया है। इस साक्षी का नाम विवेचक द्वारा आरोपपत्र में नहीं दिया गया है। इस साक्षी का साक्ष्य कराना अति आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रकरण में C.P. केशव प्रसाद को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रार्थनापत्र ख-25 पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

4. **दं0प्र0सं0 1973, की धारा 311** में यह प्रावधान वर्णित है कि **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति-** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

5. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (इददर एवं अन्य बनाम आबिदा एवं अन्य 2008 सुप्रीम कोर्ट किम0 2008(1) एससीसी(किम) 22** में यह अवधारित किया गया है कि-दं0प्र0सं0 की धारा 311 का प्रयोजन न्याय की विफलता को रोकना है। दं0प्र0सं0 की धारा 311 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, इस विषय में यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक कारक यह है कि यह आवश्यक है कि वाद का निर्णय उचित हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (रामा पासवान एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, 2008 सु0को0कि0रू 568) में यह अवधारित किया गया है कि- दं0प्र0सं0 की धारा 311 दो भागों में है। पहला भाग न्यायालयों को पूर्णतः वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है कि वह तात्त्विक साक्षी को जाँच विचारण या कार्यवाहियों के किसी स्तर पर समन करे। दूसरा भाग आज्ञापक है और न्यायालय को बाध्य करता है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही करे, जो न्याय करने के लिए आवश्यक है।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर माल परीक्षण हेतु C.P. केशव प्रसाद द्वारा दाखिल किया गया है परन्तु इस साक्षी को विवेचक द्वारा आरोपपत्र का गवाह नहीं बनाया गया है। न्यायहित में न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पत्रावली

निस्तारित करते समय वाद का निर्णय उचित हो। न्याय की दृष्टि से C.P. केशव प्रसाद को न्यायालय के सामने परीक्षित कराना आवश्यक है। इस साक्षी का बयान कराना न्यायसंगत विनिश्चय के लिये आवश्यक प्रतीत होता है।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख-25 उपरोक्त स्थापित धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुरूप है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में है। अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिये प्रश्रुत साक्षी को परीक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र ख-25 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ख-25 स्वीकार किया जाता है कि साक्षी C.P. केशव प्रसाद के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसी दिन साक्ष्य पूर्ण की जाएगी। सम्बन्धित साक्षी को जरिए समन साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए।

पत्रावली वास्ते साक्षी C.P. केशव प्रसाद के साक्ष्य हेतु दिनांक 01.08.2026 को पेश हो।

(पारूल जैन)

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम/
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट
औरैया